न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 167/2018 दायरा दिनांक : 26.11.2018

उनवान

कन्हीराम आत्मज रामा जी, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— बालू आत्मज प्यारा, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— प्रभू आत्मज प्यारा, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— दोली बाई बेवा बगदू, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— सेवा आत्मज बगदू, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5— गोपाल आत्मज बगदू, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6— बाल मुकुन्द आत्मज बगदू, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7— सूरज आत्मज बगदू, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

8— भगवत बाई पुत्री बगदू, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

9— संतोष बाई पुत्री बगदू, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

10— चम्पालाल आत्मज पूरा, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

11— मांगीलाल आत्मज लच्छा, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

12— श्यामू बाई पुत्री पूरा, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

13— संतोष बाई पुत्री पूरा पत्नी गंगाराम, जाति मेघवाल, निवासी पगारिया हाल डग, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

14— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओम प्रकाश नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री राकेश प्रजापति व श्री दयाराम सैन अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.11.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 53/दावा/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 9 ने प्रतिवादी अपीलांट व अन्य के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 183, 209 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम पगारिया, तहसील पचपहाड़ की खाता नम्बर 199 नया व पुराना 195 पर खसरा नम्बर 598 की 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उपरोक्त भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का 1/5, 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 3 ता 5 का 1/5 हिस्सा व शम्भू का 1/5 हिस्सा है । खातेदार शम्भू के फौत होने पर 1/5 के स्थान पर 1/4 हिस्सा हो गया । वादीगण ने उक्त भूमि का प्रतिवादी नम्बर 3 अपीलांट को आधी पांति पर दी हुई है, इस वर्ष आधी पांति नहीं दी और सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया । अन्त में प्रतिवादी नम्बर 3 को बेदखल करने, वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर विभाजन करने की सहायता चाहीं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 5 के खिलाफ पहली पेशी पर ही एक तरफा कार्यवाही कर प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में सुनवायी कर अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 3 की अनुपस्थिति में पक्षकारान न आपस में कोल्यूजन व मिलीभगत कर राजीनामा कर लिया और उसके आधार पर वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करने तथा विभाजन किये जाने व कब्जा दिलवाने का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2018 को पारित कर दी जिससे व्यथित होकन यह अपील पेश की गई अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन व बेदखली प्रतिवादी नम्बर 3 अपीलांट से राजीनामा हुए बिना ही डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण के कथनानुसार सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नम्बर 3 अपीलांट के कब्जे काश्त में आधी पांति में चली आ रही है जबकि वास्तविक रूप से उक्त सम्पूर्ण भूमि पर अपीलांट का पिछले 35 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है क्योंकि पूर्व खातेदारान ने अपने अपने हिस्से की भूमि को अपीलांट को बेचान कर दिया था चूंकि सभी खातेदारान आपस में रिश्तेदार थे इस कारण उनका नाम राजस्व

रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है और वाद पेश करने के पूर्व तक कभी भी वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण ने कब्जे के बाबत व बेचान के बाबत आपत्ति नहीं की । इस प्रकार उक्त भूमि का अपीलांट खातेदार हो गया । प्रतिवादी नम्बर 3 को सुनवायी, व साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त भूमि पर कभी भी रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त नहीं रहा है स्वयं वादी रेस्पोडेंट ने अपने वाद में प्रतिवादी नम्बर 3 अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार करते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी नम्बर 3 अपीलांट खातेदार हो गया इस आधार पर दावा खारिज करना चाहिए था ऐसा न करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2018 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 3 को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट अपना पक्ष सिद्ध करने में असफल रहा है । पूर्व में इस प्रकरण में न्यायालय निर्णयों की अनुरूपता व न्याय संगत होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा